न्यायालय अति. जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–

1. नरसा उर्फ नरसी पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (मृत दौराने कार्यवाही)
   1/1 हीरालाल पुत्र स्व. नरसा
   1/2 किशनलाल पुत्र स्व. नरसा
   1/3 लालाराम पुत्र स्व. नरसा
   1/4 मोहरी पत्नी स्व. नरसा
   1/5 तीजा पुत्री स्व. नरसा
   1/6 बसन्ती पुत्री स्व. नरसा
   1/7 लच्छी पुत्री स्व. नरसा
   1/8 कोयली पुत्री स्व. नरसा
   1/9 कमली पुत्री स्व. नरसा
   समस्त जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. ग्यारसी देवी पुत्री स्व. पाबूदान पत्नी स्व. भैरूराम नायक जाति नायक निवासी गौल वाया बोबडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
2. सुन्दरी देवी पुत्री स्व. पाबूदान पत्नी हनुमान जाति नायक निवासी गौल हाल औद्योगिक क्षेत्र रोड नम्बर 17 बस स्टेण्ड के पास जयपुर
3. बिदामी देवी पुत्री स्व. पाबूदान पत्नी हनुमान निवासी गौल हाल निवासी गोविन्दगढ तहसील चौमू
4. मोहरी देवी पुत्री स्व. पाबूदान सिंह पत्नी गंगासहाय जाति नायक निवासी माजरी तहसील बहरोड
5. रेशमी देवी पुत्री स्व. पाबूदान पत्नी मुकेश जाति नायक निवासी माजरी तहसील बहरांड
6. परमानन्द पुत्र स्व. पाबूदानसिंह जाति नायक निवासी पालडी तहसील विराटनगर
7. भवरी देवी पत्नी स्व. पाबूदानसिंह जाति नायक निवासी पालडी तहसील विराटनगर (नाम हज्फ)
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) विरूद्व आदेश आवंटन सलाहकार समिति तहसील विराटनगर जिला जयपुर बाबत साबिक ख.नं. 314 रकबा 10 बीघा ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर हाल ख.नं. 515 रकबा 1.12 हैक्टर ग्राम हरिकिशनपुरा दिनांक 24/9/75

निर्णय दिनांक 14.5.19

आवंटन सलाहकार समिति तहसील विराटनगर जिला जयपुर बाबत ख.नं. 314 रकबा 10 बीघा ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर हाल ख.नं. 515 रकबा 1.12 हैक्टर ग्राम हरिकिशनपुरा दिनांक 24/9/75 के विरूद्व प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4) का पेश किया है, जिनके तथ्य निम्नभांति पेश है।

यह है कि आवंटन सलाहकार समिति तहसील विराटनगर ने अपने आवंटन आदेश दिनांक 24/9/75 के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगातार 7 के पूर्वज पाबूदानसिंक को

भूमि साबिक ख.नं. 314 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर की आवंटन की गयी, जिसके रकबे साढे चार बीघा भूमि पर प्रार्थी उक्त आवंटन तथा उससे पूर्व उसके पश्चात् निरंतर काबिज रहकर काश्त करता चला आया है तथा वर्तमान में भी काबिज है, जिसकी बाबत प्रार्थी ने सहायक कलक्टर शाहपुरा जयपुर के यहां अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 7 के पूर्वज पाबूदान व अप्रार्थी संख्या 8 एवं उप पंजिक विराटनगर के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 220/94 नरसा बनाम पाबूदान वगैरह दायर किया था, जो बाद सुनवायी दिनांक 22/7/97 को प्रार्थी के हक में डिक्री हो चुकी है। मगर उक्त डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किया। धोखाधडी कार्यवाही के कारण प्रार्थी ने सिविल जज (क.ख) विराटनगर के यहां एक दीवानी वाद नरसा बनाम पाबूदान वगैरह सुन 01/2007 मय अस्थायी निषेधाज्ञा वर्तमान में भी चल रहा है । इसी अवधि में तहसीलदार विराटनगर ने धारा 232 आर.टी. एक्ट के तहत् एक रेफरेन्स सरकार बनाम नरसा वगैरह प्रकरण संख्या 03/2006 अपर जिला कलक्टर कोटपूतली के यहा प्रस्तुतकिया जो निर्णित फरमा दिया। इसी के अनुसार भूमि हाल ख.नं. 515 ग्राम हरिकिशनपुरा बाबत प्रार्थी के हक में पारित खातेदारी घोषणा की डिक्री को अपास्त करने की सिफारिश करते हुए रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेरको भेजने की सिफारिश की है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है, जो निम्नन आधारों पर पेश है।

1. यह है कि आवंटन जेर विवाद भू–आवंटन सलाहकार समिति विधि नियमों के विपरीत होन के कारण निरस्तनीय है।
2. यह है कि आवंटन कमेटी ने भूमि जेर विवाद को बाबत प्रार्थी व अन्य ग्रामवासी हरिकिशनपुरा द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्रों को पंजिबद्ध नहीं करने में आवंटन नियमो को सरासर रूप से अनदेखी की है। इस कारण आवंटन जैर विवाद निरस्त फरमावये जाने योग्य है।
3. यह है कि आवंटन कमेटी ने आराजी जैर विवाद को आवंटन कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रो में बिना प्राथमिकता का निश्चरण किये है। आवंटन करने में सरासर भूल की है, जिसके परिणाम स्वरूप आवंटन अपास्त कराये जाने योग्य है।
4. यह है कि आवंटन कमेटी ने आवंटन योग्य भूमि को विधि विधान पूर्ण तरीके से बिना उद्घोषणा जारी किये तथा तत्सम्बन्धी नियमों की पालना किये बिना ही आवंटन करने मे भारी भूल की है। इस कारण आवंटन रद्द फरमाये जाने योग्य है।
5. यह है कि आवंटन कमेटी का बिना विधिवत व नियमानुसार गठन किये आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। इस कारण भी आवंटन गैर कानूनी है।
6. यह है कि गैरप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 के पूर्वज पाबूदान द्वारा तथा कथित आवंटन आवेदन पत्र के महत्व पूर्ण तथ्य छुपाये है तथा आवश्यक पूर्ती नहीं कर गैर प्रार्थी संख्या 3 से मिलीभगत तथा छल एवं कपट पूर्ण तरीके से आवंटन आदेश प्राप्त किये है, जिसमें तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भामोद की थी मिलीभगत रही उपरोक्त कारणों से आवंटन आदेश जैर चेलेन्ज रिस्तनीय है।
7. यह है कि आवंटन कमेटी में बिना आवंटन योग्य भूमि की सूची बनाये सम्पूर्ण आवंटन की कार्यवाही छल एवं कपट पूर्ण तरीके से की है। इस कारण आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
8. यह है कि आवंटन कमेटी ने नियमों के विपरीत जाकर ग्राम कुकडेला के व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के पूर्वज पाबूदान के हक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत भामोद एवं मुख्य रूप से ग्राम हरिकिशनपुरा के निवासियों के हक हकूको के विपरीत भूमि आवंटन करने में भयंकर भूल की है।
9. यह है कि आवंटन कमेटी में आवंटन सम्बन्धि सम्पूर्ण नियमों की कतई विधिवत तरिके से पालना नहीं की है। इस कारण भी आवंटन रद्द फरमाये जाने योग्य है।
10. यह है कि आदेश जैर विवाद आवंटन में आवंटियों को कब्जा दिये जाने तथा कब्जा सम्हलाने सम्बन्धी कार्यवाही की भी पालना नहीं की गयी है। अपितु भूमि जैर विवाद आवंटन पर पूर्वत

प्रार्थी आज तक काबिज चला आ रहा है तथा काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

12. यह है कि आवंटन सम्बन्धी नियमों में यह आवश्यक तथा महत्व पूर्ण शर्त है कि आवंटी आवंटन के पश्चात् दो वर्ष की अवधी में सम्पूर्ण भूमि की काश्त करेगा अन्यथा आवंटन स्वत: ही रद्द हो जायेगा ऐसी सूरत में भी आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

13. यह है कि प्रार्थी द्वारा इस्तकरार हक एवं घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा में विवादित भूमि के बाबत प्रस्तुत किये जाने पश्चात् तथाकथित आवंटी एवं अन्य के विरूद्ध उक्त वाद दिनांक 22/7/1997 को डिक्री फरमाया दिया गया था, जिसको अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 7 के पूर्वज पाबूदान ने कभी भी जीवन काल में कभी भी चुनौती नहीं दी थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही करने एवं अपर जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा अपने मनमाने व गलत आदेश निर्णय द्वारा डिक्री को अपास्त करते हुए राजस्व मण्डल को सिफारिश करने के पश्चात् प्रस्तुत कार्यवाही करना आवश्यक हुआ।

14. यह है कि तथाकथित आवंटी ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भामोद से तथा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से साज कर विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 134 बिना तारीख खातेदारी भरवाकर तस्दीक करवा लिया तत्सम्बन्धि नामान्तरकरण में कब्जे काश्त सम्बन्धी भी मौके की कोई जांच नहीं की गयी तथा आवंटन सम्बन्धी नामान्तरकरण को तस्दीक करने का सरपंच ग्राम पंचायत भामोद को कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही की है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य तथा नल एण्ड वाई है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

15. यह है कि जब विवादित आवंटन ही गलत गैर कानूनी तथा नियम विरूद्ध है तो ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन के तहत् की जाने वाली सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य एवं नल एण्ड वाईद है। इस कारण भी नामान्तरकरण रद्द किये जाने योग्य है।

16. यह है कि उपरोक्त परिस्थति में काफी प्रयत्न के पश्चात् अपर जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में सहायक कलेक्टर शाहपुरा की डिक्री दिनांक 22/7/1997 मुकदमा संख्या 220/94 को अपास्त करने बाबत सिफारिस करने के बाद बिना किसी अनुचित विलम्ब के यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. यह है कि कानूनन रूप से नियम 14(4) अन्तर्गत आवंटन को रद्द कराने को कोई अवधि मियाद निर्धारित नहीं है, परन्तु बिना किसी अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मान्य अदालत श्रीमान् के यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन आदेश 24/9/75 बाबत साबिक ख.नं. 314 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर को हाल ख.नं. 515 रकबा 1.12 हैक्टर ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर की हद तक अपास्त कराये जाने एवं तद्नुसार नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक नहीं है, जो तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भामोद द्वारा बिना अधिकार एवं जांच पडताल के विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है। उसे भी अपास्त फरमाये जाने की अज्ञा प्रदान करें एवं अन्य आदेश जो बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थीगण दिलाये जाने उचित प्रतित हो वो भी दिलवाया जावें।

17. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र जरिये वकील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी, रिपोर्ट समात पायी जाने पर अप्रार्थीगण की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी कर विधि अनुसार तल्बी करायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेसपोडेन्ट संख्या 6 की ओर से जवाब पत्रावली में पेश हुआ है। इनकी ओर से वकील उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

18. अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 6 के पिता बाबूगन नायक को 24/9/1975 को ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर की भूमि साबिक ख.नं. 314 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन हुयी है, जिसकी खातेदारी अलाटी के हक में खोली गयी एवं मौके पर कब्जा भी सम्भलाया गया था। उक्त आराजी के हाल ख.नं. 515 है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 6 के पिता के खिलाफ सहायक कलक्टर शाहपुरा जयपुर के

सहा. कलक्टर (जयपुर)

समक्ष वाद संख्या 220/94 एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश कर दावा डिकी कराया है। उक्त डिकी की पालना कराने के लिए प्रार्थी ने सिविल न्यायालय विराटनगर को भी एक वाद संख्या 01/2007 नरसा बनाम पाबूदान वगैरह चला रखा है। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होने से तहसीलदार विराटनगर ने रेफरेन्स अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां पेश किया था, जिसे स्वीकार कर डिकी को अपास्त करने की सिफारिस अपने निर्णय 25/01/2011 के द्वारा भिजवायी है। इन सब के बावजूद प्रार्थी ने अप्रार्थी को विभिन्न प्रकार के मुकदमों में उलझाये रखने का मकसद के सिवा ओर कोई प्रयोजन नहीं है, जबकि अप्रार्थी का पिता एक गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जो भूमिहीन की श्रेणी में आता था एवं सदभावी काश्तकार था, जिसके हक में किया गया आवंटन किसी भी प्रकार से विधि में वर्णित प्रतिकियाओं का उल्लघंन करके किया गया आवंटन नहीं कहां जा सकता है। आवंटन कमेटी ने खुले शिवर में जनता के बीच में जाकर उक्त भूमि का आवंटन किया है, जिसकी आम जनता को सूचना रही है। आवंटन कमेटी ना तो फर्जी रही है ना ही पोशीदा रूप से बनायी गयी थी। प्रार्थी का उक्त आवंटन भूमि से कभी कोई सम्बन्धी नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के पिता को विधिवत तरीके से कब्जा सम्भलाया गया है। आज भी अप्रार्थी संख्या 6 का कुछ भाग को छोडकर कब्जा काश्त है, जो कुछ हिस्से पर प्रार्थी ने अलाटमैन्ट के बाद प्रार्थी के पिता की गरीबी एवं कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर काफी वर्षों बाद जबरन कब्जा किया है, जिसकी बेदखली के लिए तहसीलदार के समक्ष धारा 183 की तहत् कार्यवाही कर रखी है। प्रार्थी ने अलाटमैन्ट के करीब 19–20 वर्ष बाद एडवर्स पजेशन का दावा किया था यदि प्रार्थी का शुरू से ही कब्जा रहा होता तो एडवर्स पजेशन का दावा करने की बजाय अलाटमेन्ट को निरस्त कराने की कार्यवाही शुरू से ही कर देता यह बात स्वतः ही प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण के पिता ने अलाटमेन्ट के बाद कब्जा प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थीगण के पिता को अलाटमेन्ट के बाद पहले गैर खातेदारी अधिकार दिये गये थे, जो बाद में कब्जे के आधार पर ही खातेदारी अधिकार दिये है। खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद नियम 14(4) की कार्यवाही के द्वारा किसी की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है, जब अप्रार्थीगण के पिता को भूमि वर्ष 1975 में अलाटमेन्ट हुयी, उसके बाद उसके कब्जे काश्त के विपरीत प्रार्थी ने एडवर्स पजेशन का दावा 20 वर्ष बाद पेश किया ओर अब जब रेफरेन्स वर्ष 2011 में डिकी को अपास्त कर स्वीकार फरमा दिया तथा अब प्रार्थना–पत्र अलाटमेन्ट को निरस्त कराने का ले आये। प्रार्थना–पत्र मियाद बहार पेश किया है। प्रार्थी शुरू से ही अप्रार्थीगण के पिता को हैरान व परेसान कर जबरन अप्रार्थीगण की भूमि पर काबिज होने की फिराक में रहा है। प्रार्थी का शुरू से ही मेलाफाईड इंटेंशन रहा है। प्रार्थी पहले तो कब्जा बताकर डिकी करवाली ताकि अलाटमेन्ट को खारिज कराने पर भूमि सरकारी भूमि होने से बच सके अब गलत ढंग से पारित करायी गयी, डिकी अपास्त हो गयी तब अलाटमेन्ट को खारिज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी यानि ऐन केन प्रकेरण अप्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने के सिवाय प्रार्थी का कोई अन्य मकसद नहीं रहा है। प्रार्थी ने आ.ख.नं. 515 के कुछ भाग पर ही जबरन कब्जा किया है। आधे से ज्यादा आज भी अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहा है। जबरन कब्जा की गयी भूमि की बेदखली के लिए श्रीमान् तहसीलदार के समक्ष आर.टी एक्ट की धारा 183बी के तहत् कार्यवाही भी कर रखी है। अतः जबरन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे खारिज कियो जाने की कृपा करें।

19. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता पाबूदान को दिनांक 24/9/1975 को ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर की भूमि साबिक ख.नं. 314 रकबा 10 बीघा आवंटित हुयी थी वह आवंटन सलाहकार समिति के कोरम के अभाव में हुयी है, जो आवंटन विधि विरूद्व एवं गलत हुआ है। आवंटन कमेटी ले आवंटन योग्य भूमि को विधि विधान पूर्ण तरीके से बिना उद्घोषणा जारी किये तथा नियमों की पालना किये बिना ही आवंटन करने की भारी भूल की है। प्रार्थी ने आवंटी के विरूद्व ए.सी.एम शाहपुरा के यहां घोषणात्मक वाद पेश किया

था, जिसमें भी दिनांक 22/7/1997 को डिक्री फरमाया गया, इसकी अप्रार्थीगण के पिता ने कभी चुनौती नहीं दी गयी। उक्त डिक्री को अपास्त करवाने हेतु राजस्व मण्डल को सिफारिश करने के पश्चात् प्रस्तुत कार्यवाही करना आवश्यक हुआ। इसके अलावा ग्राम पंचायत भामोद से तथा पटवारी हल्का गिरदावर हल्का से आवंटी ने साज कर विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 134 बिना तारीख बाबत खातेदारी भरवाकर तस्दीक करवा लिया, जबकि कब्जे काश्त के सम्बन्ध में मौके की जांच कर ही नामान्तरकरण भरना चाहिए था। उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत भामोद को तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था। सरपंच अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर कार्यवाही की है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य तथा नल एण्ड वाईड है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 24/9/75 बाबत साबिक खसरा नम्बर 314 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम हरिकिशनपुरा विराटनगर के हाल ख.न. 515 रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर की हद तक अपास्त फरमाये जाने एवं तद्अनुसार नामान्तरकरण संख्या 134 बिना तारीख तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भामोद द्वारा बिना अधिकार एवं जांच पडताल के विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है। इसे अपास्त फरमाया जावें। इसके अलावा अपनी बहस में यह भी कथन किया कि आवंटन 24/9/75 को मुकाम विराटनगर में हुआ, जबकि आवंटन कमेटी बैठक सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में होनी चाहिए थी। आवंटी द्वारा आवंटन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही किया इसलिए उक्त आवंटन विधि विरूद्ध है तथा आवंटन की शर्तों की पालना हुए बिना ही उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता पाबूदान को भूमि आवंटन हुयी है, जो आवंटन निरस्त फरमावें। दो पक्षकारों के मध्य विवाद होते हुए तहसीलदार विराटनगर द्वारा ए.सी.एम व ए.डी.एम के फैसले के विरूद्ध रेफरेन्स क्यों पेश किया है। इससे भी जाहिर है कि आवंटी को आवंटन गलत हुआ है। वकील प्रार्थी ने अपने समर्थन में 1993 RRD-489, 1998 RRD-589] 1993 RRD-485, 1994 RRD-311, 1995 RRD-340 पेश किये है।

20. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी पाबूदान को तत्समय में हुआ आवंटन सही हुआ है तथा आवंटन की शर्तों की पालना मे पात्र पाये जाने पर ही उक्त आवंटी को आवंटन हुआ है तथा आवंटन पश्चात् विधि अनुसार खातेदारी प्रदान की गयी है।

21. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत का भलीभांति अवलोकन किया तो पाया कि आक्षेपित आवंटन आदेश अप्रार्थीगण के पिता पाबूदान को वर्ष 24/9/75 को हुआ है। आवंटन होने के पश्चात् गैर खातेदारी मिली है तथा इसके पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। आवंटी को भूमि आवंटन होने के पश्चात् लगभग 20 वर्ष पश्चात् प्रार्थी ने ए.सी.एम शाहपुरा के यहां एडवर्स पजेशन का पेश किया है, जिसमें डिक्री फरमाने के पश्चात् इसकी पालना करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थी के हक में पारित डिक्री को न्यायालय हाजा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने भी अपास्त करने की सिफारिश कर स्वीकार हेतु मान्य. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र पेश करने के आदेश दिये गये है। किसी सद्भावी काश्तकार को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् नियम 14(4) की कार्यवाही के द्वारा किसी की खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह तथ्य पेश किया है कि आवंटनशुदा भूमि में कुछ भाग पर प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है। चूँकि प्रार्थी गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अनुसूचित जाति की भूमि में गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी रूप से कब्जा काश्त नहीं कर सकता है, जो धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थीगण संख्या 6 द्वारा इस बाबत धारा 183B के तहत् कार्यवाही कराने बाबत तहसीलदार विराटनगर के यहां कार्यवाही बाबत प्रार्थना-पत्र पेश कर रखा होना जाहिर किया है। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता को तत्समय में हुआ आवंटन सही हुआ है तथा आवटन की शर्तों की पालना में आवंटी पात्र पाये जाने पर उक्त भूमि आवंटी को आवटन हुयी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण का खारिज किया जाना

न्यायोचित है। आवंटी के द्वारा आवंटनशुदा भूमि पर सदभावी काश्तकार के रूप में काश्त करने पर ही उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 134 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर के हक में स्वीकार हुआ है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण के पिता के हक में हुआ आवंटन दिनांक 24/9/1975 ग्राम हरिकिशनपुरा का खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है एवं नामान्तरकरण संख्या 134 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

22. उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) बाबत साबिक खसरा नम्बर 314 रकबा 10 बीघा हाल ख.नं. 515 रकबा 1.12 हेक्टर वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पिता पाबूदान के हक में हुआ आवंटन दिनांक 24/9/1975 के पश्चात गैर खातदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 134 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है, इसे यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

23. निर्णय आज दिनांक 14.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)